रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11072024-255343 SG-DL-E-11072024-255343

## असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] दिल्ली, बुध No. 176] DELHI, WEDNES

दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946 DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 94 [N. C. T. D. No. 94

### भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

# अधिसूचना

दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

फा.सं. 50(24)/डीसी/स्था0/2023/323.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना सं0 एस.ओ. 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा औषि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद हेतु भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :--
  - (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियमावली, 2024 कहा जायेगा।
  - (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

4145 DG/2024 (1)

- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :— वह व्यक्ति.
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
  - शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
- 5. शिथिल करने की शिक्त :-जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
  - 6. बचाव:— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ
2.	पदों की संख्या	:	14*(2024)
			* परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर —1 (रुपये 18000—56900)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18—25*वर्ष
			(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये ऊपरी आयु—सीमा में 40 वर्ष तक शिथिलनीय।)  नोट:— आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि समक्ष प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।  *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हैं, तो आयु सीमा 18 वर्ष एवं 27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक	:	अनिवार्य :
	तथा अन्य योग्यताएं		मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा
			समकक्ष उत्तीर्ण।
		-	

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है		लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।		समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण मामलों के विचारार्थ)  1. प्रधान सचिव / सचिव (लो०नि०वि०) — अध्यक्ष  2. संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य  3. उप—सचिव (श०वि०) — सदस्य  टीप :— यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का विरष्टतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

उपराज्यपाल, दिल्ली के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राज कुमार, उप-सचिव

#### HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT

### **NOTIFICATION**

Delhi, the 10th July, 2024

**F. No. 50(24)/DC/Estt./2023/323.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. S.O.3532 dated 24.09.1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

### 1. Short title and commencement-

- (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2024
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. **Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.
- 4. **Disqualification.-**No person,
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving- Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Recruitment Rules for the post of Multi Tasking Staff in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of Post	Number of Posts	Classification of Post	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Multi Tasking Staff	*Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 (Rs. 18000- 56900) of Pay Matrix	Not applicable	18-25* years  (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority  *In case of post being filled up by All-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years

Educational and other Qualification required for Direct Recruits  Whether age & Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of vacancies to be filled by various methods
--	-----------------------------	---

7	8	9	10
Essential:	Not applicable	Two years	100% by Direct recruitment
Matriculation or equivalent pass from Recognised Board/ University			

In case of Recruitment by Promotion/ deputation/ absorption grades from which Promotion/ deputation/ absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Group 'C' DCC (for considering confirmation cases):	Not applicable
	1. Pr. Secretary/ Secretary (PWD) - Chairperson	
	2. Head of the Department concerned - Member	
	3. Deputy Secretary (UD) - Member	
	Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee	

By order and in the name of the Lt. Governor Delhi

RAJ KUMAR, Dy. Secy.